सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 747 राँची, गुरुवार 2 अगस्त, 2018 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

19 जुलाई, 2018 ई०।

संख्या-16/थाना-27/2015-4054--विभागीय अधिसूचना संख्या-252, दिनांक 28 जनवरी, 2016 एवं संशोधित अधिसूचना सं०-3796, दिनांक 12 जुलाई, 2017 द्वारा झारखण्ड राज्य के पुलिस अवर निरीक्षक के 50 प्रतिशत प्रोन्नति के पदों में से आधे पद अर्थात् कुल 25 प्रतिशत पदों को सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है । पुलिस मुख्यालय द्वारा दिये गये प्रस्ताव के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत उपरोक्त अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:-

(1) विभागीय अधिसूचना सं०-252, दिनांक 28 जनवरी, 2016 की कंडिका-7 (क), (ख) एवं संशोधन अधिसूचना सं०-3796, दिनांक 12 जुलाई, 2017 की कंडिका-8(।) द्वारा निम्न प्रावधान निरूपित हैं:-

7 (क).''सेवा में प्रवेश की तिथि से इस नियमावली के अधीन नियुक्ति पत्र मिलने की तिथि तक जिन कर्मियों को किसी प्रकार का दण्ड (वृहत) संसूचित किया गया हो या उनके विरूद्ध किसी

प्रकार की विभागीय कार्यवाही/आरोप पत्र गठित हो/न्यायिक मामले लंबित होंगे, वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे ।"

7 (ख) ''साथ ही वैसे पुलिसकर्मी, जिनकी सेवा पुस्तिका में पिछले पाँच वर्षों के भीतर कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति दर्ज की गई हो, वे भी आवेदन के पात्र नहीं होंगे ।"

उक्त प्रावधान को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है -

7. ''विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से पिछले पाँच वर्षों के अंदर जिन कर्मियों को किसी प्रकार का वृहद दण्ड संसूचित किया गया हो अथवा उनके विरूद्ध किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही/फौजदारी मामले/आरोप पत्र का संसूचन/न्यायिक मामले लंबित है तो, वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे ।"

(2) विभागीय अधिसूचना सं०-252, दिनांक 28 जनवरी, 2016 की कंडिका-8 एवं संशोधन अधिसूचना सं०-3796, दिनांक 12 जुलाई, 2017 की कंडिका-8(I) में निम्न प्रावधान निरूपित हैं:-

8. सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक पुलिसकर्मी उपर्युक्त से संबंधित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सर्वप्रथम संबंधित पुलिस अधीक्षक के समक्ष अभ्यावेदन समर्पित करेंगे तथा संबंधित पुलिस अधीक्षक उनके सेवापुस्त एवं अन्य अभिलेखों की जाँच कर यह आश्वस्त होने के पश्चात कि संबंधित कर्मी को कोई वृहद दण्ड संसूचित नहीं किया गया है तथा उनके विरूद्ध कोई आरोप पत्र/निलंबन/विभागीय कार्यवाही/न्यायिक मामले लंबित नहीं है एवं उनकी सेवा पुस्तिका में पिछले पाँच वर्षों के भीतर कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति दर्ज नहीं है, इसे क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक के पास अग्रसारित करेंगे । क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक पुनः सेवा-पुस्तिका एवं अभिलेखों के जाँचोपरांत इस आशय का प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे कि संबंधित कर्मी के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई आरोप पत्र/निलंबन/विभागीय कार्यवाही/न्यायिक मामले लंबित नहीं है एवं उनकी सेवा पुस्तिका में पिछले पाँच वर्षों के भीतर कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति दर्ज नहीं है । क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र परीक्षा हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रारम्भिक स्तर पर ही उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी ।

उक्त प्रावधान को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है -

8. ''सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक पुलिसकर्मी कंडिका-7 में निहित प्रावधान से संबंधित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सर्वप्रथम संबंधित पुलिस अधीक्षक के समक्ष विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित करेंगे । पुलिस अधीक्षक विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से पिछले पाँच वर्षों के भीतर पुलिसकर्मी के विरूद्ध किसी प्रकार का वृहत दण्ड संसूचित नहीं किया गया हो अथवा उनके विरूद्ध किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही/फौजदारी मामले/आरोप पत्र का संसूचन/न्यायिक मामले लंबित नहीं है, तो संबंधित कर्मी का आवेदन क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक को अग्रसारित करेंगे ।"

तदनुसार पुलिस अधीक्षक से उक्त आशय से संबंधित प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करते हुए विहित प्रपत्र में आवेदन (अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को अग्रसारित करेंगे । क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक से उक्त आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होने पर कर्मचारी चयन आयोग, झारखण्ड, राँची द्वारा संबंधित पुलिसकर्मियों का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा ।

(3) विभागीय अधिसूचना सं०-252, दिनांक 28 जनवरी, 2016 की कंडिका-19 में निम्न प्रावधान निरूपित हैः-

'' लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्ति हेतु अभ्यर्थियों को उपर्युक्त दोनों पत्रों में न्यूनतम् 45 प्रतिशत अंक तथा कुल 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा । अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम् अर्हतांक में 05 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी ।"

उक्त प्रावधान को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है -

''लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्ति हेतु सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक कार्मिक, प्रशा० सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं०-13026, दिनांक 27 नवम्बर, 2012 के अलोक में निम्न प्रकार से निर्धारित रहेगा ।"

कोटि	**प्रतिशत**
सामान्य वर्ग	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	36.5 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग (अनु०-1)	34 प्रतिशत
अनु० जाति/अनु० जनजाति/महिला	32 प्रतिशत

(4) विभागीय अधिसूचना सं०-252, दिनांक 28 जनवरी, 2016 की कंडिका-21 एवं संशोधन अधिसूचना सं०-3796, दिनांक 12 जुलाई, 2017 की कंडिका-2 में निम्न प्रावधान निरूपित हैः-

शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु मापदण्डः-

कोटि	**दौड़**
पुरूष उम्मीदवार	10 कि०मी०की दौड़, 60 मिनट में।
महिला उम्मीदवार	05 कि०मी० की दौड़, 40 मिनट में।

उक्त प्रावधान को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है -

कोटि	**दौड़**
पुरूष उम्मीदवार	08 कि०मी० की दौड़, 60 मिनट में।
महिला उम्मीदवार	04 कि०मी० की दौड़, 40 मिनट में।

(5) विभागीय अधिसूचना सं०-252, दिनांक 28 जनवरी, 2016 की कंडिका-13.(ख) के उपरांत कंडिका-13 (ग) का समावेश निम्नरूपेण किया जाता है:-

13 (ग). ''वैसे पुलिसकर्मी जो झारखण्ड पुलिस अवर निरीक्षक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा-2017 (विज्ञापन सं०-09/2017) में सम्मिलित नहीं हो सके थे, वैसे पुलिसकर्मियों को आगामी दो परीक्षाओं में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा । किन्तु जो अभ्यर्थी झारखण्ड पुलिस अवर निरीक्षक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा-2017 में सम्मिलित हो चुके हैं, उन्हें एक ही अवसर प्राप्त होगा । फलस्वरूप सभी पुलिसकर्मियों के लिए यह अवसर दो बार तक ही सीमित रहेगी । प्रथम तीन परीक्षाओं के पश्चात यह व्यवस्था स्वतः विलोपित हो जायेगा ।"

(6) उपरोक्त सभी अधिसूचनाएँ इस हद तक संशोधित होंगे ।

(7) यह अधिसूचना निर्गत तिथि से लागू होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

भगवान दास
सरकार के विशेष सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 747 -- 50